सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा:.सं . NCST/DEV-3450/JH/37/2024-ESDW-RU-IV

दिनांक :27/10/2025
30

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला – हजारीबाग,
कार्यालय उपायुक्त,
हजारीबाग, झारखण्ड-825301,
E.mail: dc-haz@nic.in

विषय: कोल परियोजना के नाम पर भूमि अधिग्रहित कर लेने और उसका उचित और सही समय पर वैध लोगों को मुआवजा और रोजगार नहीं देने के संबंध में -श्री निर्मल गंझू, गिद्दी बस्ती, प्रखंड एवं थाना-डाडी, जिला-हजारीबाग़ झारखंड का दिनांक रहित पत्र/अभ्यावेदन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/ 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

यो. प्र. यादव

यो. प्र/ यादव . Y. P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री निर्मल गंझू,
गिद्दी बस्ती,
प्रखंड एवं थाना-डाडी,
जिला-हजारीबाग़) झारखंड(
Mobile No:8002523011

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/DEV-3450/JH/37/2024-ESDW

कोल परियोजना के नाम पर भूमि अधिग्रहित कर लेने और उसका उचित और सही समय पर वैध लोगों को मुआवजा और रोजगार नहीं देने के संबंध में- श्री निर्मल गंझू, गिद्दी बस्ती, प्रखंड एवं थाना-डाडी, जिला-हजारीबाग (झारखंड) का पत्र/अभ्यावेदन के सम्बंध में आयोग मुख्यालय में दिनांक 18.09.2025 को 03:00 बजे आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में आयोजित सुनवाई का कार्यवृत

सिटिंग की तिथि एवं समय : 18.09.2025 को 03:00
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I अनुसार।

श्री निर्मल गंझू, निवासी ग्राम गिद्दी बस्ती, थाना गिद्दी (ए), जिला हजारीबाग, झारखंड की एक दिनांक रहित शिकायत आयोग में प्राप्त हुई । शिकायत में उन्होंने बताया कि मौजा गिदी, अंबल डारी, थाना संख्या 36, हल्का 08 के विभिन्न खातों एवं प्लांट की भूमि को पूर्व में कर्णपुरा माइनिंग सिंडिकेट, NCDC, CCL (आउटसोर्सिंग) एवं तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया था। अधिग्रहण के बावजूद, वास्तविक भूस्वामियों को न तो उचित मुआवजा प्रदान किया गया है और न ही रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण रैयतों द्वारा बार-बार वैध अधिकारों की मांग एवं प्रयास किए जाने के बावजूद, उनकी गरीबी एवं अशिक्षा का लाभ उठाते हुए प्रशासनिक स्तर पर टालमटोल किया गया, जिससे उन्हें न्याय नहीं मिल सका।

2. इस संदर्भ में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु आयोग द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग, झारखंड को दिनांक 27/11/2024 को नोटिस भेजा गया।

3. संबंधित विभाग से उत्तर प्राप्त न होने के कारण, एवम्अभ्यावेदक के बार बार अनुरोध करने पर दिनांक 18.09.2025 को अपराह्न 03:00 बजे आयोग मुख्यालय में इस प्रकरण की सुनवाई निर्धारित की गई।

4. इस क्रम में, सिटिंग नोटिस दिनांक 11.09.2025 को उपायुक्त, हजारीबाग, झारखंड को प्रेषित किया गया , तथा आवेदक को भी उक्त सुनवाई की सूचना यथोचित रूप से प्रदान की गई।

4. सुनवाई के दौरान उपायुक्त, हजारीबाग स्वयं उपस्थित नहीं हुए तथा उन्होंने DCLR (Deputy Collector of Land Reforms), हजारीबाग को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा । अभ्यावेदक सुनवाई में अनुपस्थित रहे।

5. भूमि सुधार उपसमाहर्ता (DCLR) द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि दिनांक 15.09.2025 को भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा अंचल कार्यालय, डाडी में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अंचल अधिकारी, डाडी; मुख्य प्रबंधक, सीसीएल गिद्दी 'ए'; भूमि एवं राजस्व पदाधिकारी, सीसीएल अरगड्डा; तथा आवेदक श्री निर्मल गंड्डु, ग्राम–गिद्दी बस्ती, चेराटांड उपस्थित थे।

इस बैठक में मुआवजा अभिलेखों एवं संबंधित विषयों की सत्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से CCL द्वारा तीन सप्ताह का समय माँगा गया। चूँकि शेष सभी खसरा संख्याओं को सम्मिलित करते हुए एक समग्र एवं सटीक अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया जाना है, अतः उपायुक्त,

हजारीबाग द्वारा आयोग से छह सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने का आग्रह किया गया है, ताकि समुचित जाँच एवं दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

6. मामले की सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा अनुशंसा की जाती है:

I. आयोग द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा अनुरोधित समयावधि प्रदान की जाती है। उपायुक्त, हजारीबाग इस विषय की सम्यक् जाँच कर, प्रत्येक पहलू पर यथोचित रूप से विचार करते हुए, प्रभावित व्यक्ति को न्यायोचित मुआवजा प्रदान किए जाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करें।

इस प्रकरण से संबंधित पूर्ण एवं स्पष्ट प्रतिवेदन आयोग के समक्ष नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तुत किया जाए ।

आशा लकड़ा
14/10/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-3450/JH/37/2024-ESDW-RU-IV

Sitting to be held on **18.09.2025 at 03.00 P.M-** कोल परियोजना के नाम पर भूमि अधिग्रहित कर लेने और उसका उचित और सही समय पर वैध लोगों को मुआवजा और रोजगार नहीं देने के संबंध मे - **श्री निर्मल गंझू,** गिद्दी बस्ती, प्रखंड एवं थाना डाडी-, जिला(झारखंड) हजारीबाग- का अभ्यावेदन

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Deputy Commissioner, Hararibagh**		
1.	Raj Kishore Prasad	L R D C Hazaribagh	Raj 18/09/2025 7320607849
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.			
2.			